रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1425] नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2013/ज्येष्ठ 29, 1935
No. 1425] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2013/ JYAISTHA 29, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2013

का.आ.1764(अ).–औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की दिनांक 01.06.2012 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं [का.आ. 1268 (अ) और 1269 (अ)] के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) को सम्मिलित करते हुए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का पुनर्गठन करती है:-

2. उच्च स्तरीय समिति निम्नानुसार गठित की गई है:-

(i) सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - अध्यक्ष
(ii) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग अथवा उसके नामिती - सदस्य
(iii) सचिव, राजस्व विभाग अथवा उसके नामिती - सदस्य
(iv) सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अथवा उसके नामिती - सदस्य
(v) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अथवा उसके नामिती - सदस्य

(vi) सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(vii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(viii) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय अथवा उसके नामिती	- सदस्य
(ix) मुख्य लेखा नियंत्रक, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	- सदस्य
(x) उद्योग विशेषज्ञ	- सदस्य
(xi) उद्योग विशेषज्ञ	- सदस्य
(xii) संयुक्त सचिव, (एम.पी. अनुभाग के प्रभारी)	- सदस्य-सचिव

3. नामिति भारत सरकार के संयुक्त सचिव रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए।

4. यह समिति, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित राज्य सरकारों को आमंत्रित कर सकती है।

5. एचएलसी किसी विशेष प्रस्ताव अथवा उसके किसी हिस्से के मूल्यांकन के लिए अपेक्षित विशिष्ट विशेषज्ञता पर निर्भर करते हुए किसी अन्य सदस्य/विशेषज्ञ को सहयोगित कर सकती है।

6. उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :-

(i) नीतिगत प्रावधानों के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी करना और यदि कोई अंतर-मंत्रालयी मामले हों, तो उनका समाधान करना।

(ii) राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले एनआईएमजेड की स्थापना के लिए इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण आवेदनों की जांच करना। एचएलसी द्वारा विचार करने के बाद प्रस्तावों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए शुरूआती प्रस्ताव में सम्मिलित (एन्कैप्सलेट) किए गए अनुसार परियोजना की अवधारणा तथा डिजाइन के लिए एनआईएमजेड के विकास चरण के दौरान यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो उसकी जांच करना और उस पर विचार करना।

(iv) जोन के विकास के लिए कार्यनीति तथा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्व:विनियमन के लिए कार्य योजना के संबंध में एनआईएमजेड के एसपीवी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच करना तथा अनुमोदन करना।

(v) जब कभी विशिष्ट एनआईएमजेड अनुमोदित किया जाता है, तब उसके विकास की निगरानी करना।

(vi) एमआईपीबी द्वारा दिए गए विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित, निर्देश यदि कोई हो, तो उन पर विचार करना।

[फा. सं. 9/1/2012-एमपीएस]

अंजली प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2013

S.O. 1764(E). – In supersession of Department of Industrial Policy and Promotion's earlier notifications [S.O. 1268 (E) and 1269 (E)] dated 01.06.2012, the Central Government hereby re-constitutes a High Level Committee (HLC) subsuming Board of Approval (BoA) into it for matters pertaining to the implementation of the National Manufacturing Policy.

2. The High Level Committee is constituted as follows:

(i)	Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion	– Chairperson
(ii)	Secretary, Department of Economic Affairs or Nominee	– Member
(iii)	Secretary, Department of Revenue or Nominee	– Member
(iv)	Secretary, Ministry of Environment and Forests or Nominee	– Member
(v)	Secretary, Ministry of Labour and Employment or Nominee	– Member
(vi)	Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises or Nominee	– Member
(vii)	Secretary, Department of Science and Technology or Nominee	– Member
(viii)	Secretary, Ministry of Urban Development or Nominee	– Member
(ix)	Chief Controller of Accounts, DIPP	– Member
(x)	Industry Expert	– Member
(xi)	Industry Expert	– Member
(xii)	Joint Secretary (in-charge of MP Section)	– Member Secretary

3. The nominees shall not be below the rank of Joint Secretary to the Government of India.

4. The committee may invite concerned State Governments if required.

5. The HLC may co-opt any other member/expert depending upon the specific expertise required to appraise any particular proposal or part thereof.

6. The Terms of Reference of the High Level Committee are as follows:

(i) To monitor the implementation of the Policy provisions on a regular basis and resolve inter-ministerial issues, if any.

(ii) To examine applications complete in all respects as per guidelines issued in this regard, for establishment of NIMZs as are found to be meeting the requirements of the National Manufacturing Policy. After consideration by the HLC, the proposals will be put up for approval to Commerce & Industry Minister.

(iii) To examine and consider, during the development phase of NIMZ, any amendment required to the concept and design of the project as encapsulated in initial proposal submitted by the State Government.

(iv) To examine and approve the submission by the SPV of a NIMZ regarding the strategy for development of the Zone and an action plan for self-regulation to serve the objectives of the policy.

(v) To monitor the development of specific NIMZs wherever approved.

(vi) To consider the directions, if any, relating to the manufacturing sector given by the MIPB.

[F. No. 9/1/2012-MPS]

ANJALI PRASAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.